न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए.48/2015
पंजीयन दिनांक 27.08.2015

(1). अमर सिंह पिता किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी काटुन्दा तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-अपीलांट

बनाम

(1). दिनेश सिंह पिता बालू सिंह जाति राजपूत निवासी काटुन्दा तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). मनराज सिंह पिता बालू सिंह जाति राजपूत जरिये पिता एवं संरक्षक बालू सिंह निवासी काटुन्दा तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). बालू सिंह पिता अमर सिंह जाति राजपूत निवासी काटुन्दा तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
प्रकरण संख्या 130/2015 निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.07.2015

उपस्थित वक्त बहस-(1). सत्यनारायण ईनाणी -अधिवक्ता अपीलांट
(2).राशिदुल गफूर-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3

निर्णय **दिनांक 08.07.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने मूलवाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा काटुन्दा तहसील बेगूं की आराजी संख्या 288, 719, 720, 1792 कुल किता 4 कुल रकबा 2.56 हैक्टेयर स्थित होकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के पैतृक स्वामित्व , आधिपत्य की होकर उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

का 1/8, 1/8 हक हिस्सा व प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 उनके हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण के पक्ष में है। परन्तु प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात वर्तमान में विपक्षी अपीलांट के नाम खातेदारी में दर्ज होने के कारण वह प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 से 3 को उनके निहित हक हिस्से से वंचित करने के उद्देश्य से विपक्षी अपीलांट उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात को दीगर को हस्तांतरित करने को आमादा है जिसका उसे कानूनी रूप से कोई अधिकार न होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के पक्ष मे होना सिद्ध होता है। साथ ही यदि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को विपक्षी अपीलांट द्वारा दीगर को हस्तांतरित किये जाने पर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 का उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात पर हक अधिकार समाप्त हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 ने स्वयं के पक्ष में होना बताकर विपक्षी अपीलांट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की प्रार्थना की।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2022 को निर्णित किया जाकर विपक्षी अपीलांट उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात को दीगर को किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करे व उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी अपीलांट को पाबंद करने का निर्णय व आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एंव आदेश दिनांक 24.07.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट विपक्षी ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट विपक्षी ने अपील मेमो अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 की पैतृक सम्पत्ति नहीं होकर अपीलांट विपक्षी की कयशुदा है जिसे अपीलांट विपक्षी व उसके भाई ने पंजीकृत विकय पत्र से खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सिंह पिता मौडसिंह से दिनांक 16.10.1970 को कय कर कब्जा प्राप्त किया था। वर्तमान में अपीलांट विपक्षी उसकी कयशुदा उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का अभिलिखित खातेदार है जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला, न्याय, साम्य, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी अपीलांट विपक्षी के पक्ष में होने के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के प्रार्थना पत्र पर एकतरफा सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्ट्या मामला, न्याय , साम्य सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेसपोडेन्टगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण के पक्ष में होना मानते हुए दिनांक 15.07.2015 को अपीलांट विपक्षी को दिनांक 03.08.2015 तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया जाकर अपीलांट विपक्षी को दिनांक 03.08.2015 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया , परन्तु अपीलांट विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 24.07.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प सुवाणिया मे नियत की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट विपक्षी के विरूद्ध मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निर्णय पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

दौरान बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित होना मानते हुए प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के पक्ष में स्वीकार किया जाकर निर्णय पारित किया गया है जो कि विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट विपक्षी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2015 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को स्वयं की पैतृक सम्पत्ति होना दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं करवाया है। अपीलांट विपक्षी उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का अभिलिखित खातेदार है जो जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है। चूंकि अभिलिखित खातेदार के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा विशेष परिस्थितियों में ही जारी की जा सकती है, परन्तु प्रार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

डेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिसके आधार पर अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अति आवश्यक हो फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत में नियत की जाकर अपीलांट विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अपीलांट विपक्षी की अनुपस्थिति में पक्षकारान के मध्य बिना समझौते के लोक अदालत प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के पक्ष में स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित किया गया जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य होकर प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट विपक्षी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 24.07.2015 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)